झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 53 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री संदेशा प्रधान एवं अन्य, पं०-कोड़ाकेल, मुरहू, खूँटी ।

बनाम

प्रतिवादी DSO, खूँटी ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग **कैम्प कार्यालय, खूँटी।** **वाद सं0–53/2023** आज दिनांक–04.10.2023 को खूँटी परिसदन भवन में आयोग द्वारा आयोजित जन सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता, श्री संदेशा प्रधान एवं अन्य 19, ग्राम–कोड़ाकेल, पंचायत–कोड़ाकेल, थाना–मुरहू जिला–खूँटी का कहना है कि उन्हें राशन डीलर, श्रीमती सुमित्रा देवी द्वारा राशन काट कर दिया जाता है। विरोध करने पर डीलर द्वारा मारपीट एवं राशन कार्ड से नाम कटवाने की धमकी दी जाती है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि डीलर श्रीमती सुमित्रा देवी के पास जितने भी लाभुक हैं, उन सभी को जितने अवधि का राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है, उतने अवधि का राशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान के तहत् सवा गुणा अनाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं दिनांक–31.10.2023 तक ऐसा कर दिये जाने का प्रमाण आयोग में समर्पित करें। साथ ही उक्त कार्रवाई की वीडियोग्राफी करा कर आयोग को भेजें। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें। दिनांक–31.10.2023 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court note.docx61	